यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास देहरादून के माह 02/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार व.ले.प. श्री रवि शंकर एवं श्री एस0एस0 राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 27.07.2017 तक श्री एस0के0 जौहरी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपेश कुमार स.ले.प.अ. श्री महेशचन्द सुपरवाइजर द्वारा दिनांक 01/04/2016 से 25/04/2016 तक श्री रणवीर सिंह चौहान वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापीरक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016/ से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- देहरादून

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	00.00	00.00	1890.60	1780.49	3395.36	3353.08	00.00	152.39
2015-16	00.00	00.00	44.78	31.76	1041.06	1029.05	00.00	25.03
2016-17	00.00	00.00	47.53	40.93	40.93	1359.08	00.00	07.79

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15					
2015-16					
2016-17					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हुये इकाई अ श्रेणी की है।

इकाई का संगठनात्मक ढांचाः- सचिव→निदेशक→डी.पी.ओ. →सी.डी.पी.ओ.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास देहरादून का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास देहरादून के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

प्रस्तर-01- ₹ 24.46 लाख की ब्याज की धनराशि का शासकीय खाते में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश सं0 U.O.1/XXVII(6)- टी0सी0ए0 934-2014, दिनांक 21/04/2017 तथा आदेश स0 610/XVII(4)/2017-02(8)2017 दिनांक 26/04/2017 के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक वित्तीय अनियमितता है तथा निर्देशित किया है कि जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराया जाय।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा दिनांक 31/01/2016 से 31/05/2017 तक विभिन्न बैंक खातों में कुल ₹ 24,46,224=00 की धनराशि का ब्याज अर्जित किया गया था। उक्त शासनादेश के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना अपेक्षित था परन्तु इकाई द्वारा लेखापीरक्षा तिथि (जुलाई 2017) तक भी अर्जित ब्याज की धनराशि शासकीय खाते में जमा नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश के क्रम में ब्याज की धनराशि यथाशीघ्र जमा करा दी जायेगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः ₹ 24.46 लाख की ब्याज की धनराशि शासकीय खाते में जमा न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02- इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अन्तर्गत 6519 लाभार्थियों को योजना के लाभ से वांचित रखना।

इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं तथा इनके नन्हें शिशुओं (0-6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के अन्तर्गत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटन की गयी थी, कि आवंटित धनराशि का व्यय एवं क्रियान्वयन भारत सरकार के दिशा-निर्दशों अनुसार किया जाये तथा लाभार्थियों को नियमानुसार लाभान्वित किया जाय। इस योजना के अन्तर्गत आवंटित/व्यय धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथा शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

योजना से सम्बन्धित अभिलेखों संवीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2017 में जिन लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित होना था, उनकी संख्या 11235 थी, जबकि अवशेष धनराशि ₹ 26867976.00 थी। आगे अभीलेखों की संवीक्षा में यह भी पाया गया कि पूर्व के 11235 लाभार्थियों के सापेक्ष मात्र 4716 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया था। ₹ 9574517.00 की धनराशि इकाई के पास अवशेष थी इस प्रकार आतिथि तक 6519 (11235-4716) लाभार्थियों को योजना का लाभ नही मिल पाया था। ये सभी लाभार्थी योजना के लाभ से वांचित थे, जो कि योजना के मूल उद्देश्यों के विपरीत है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त अवधि तक इन लाभार्थियों की ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण नही हो पायी है। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि आवेदन परियोजना स्तर पर प्राप्त किये जाते है। आवेदनों की उसी समय जाँच कर कमियों को दूर कर लेना चाहिए था, जो कि नही किया गया जिससे लाभार्थी योजना के लाभ से वांचित थे तथा इकाई योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रही।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-03- नवीन ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण एवं पुराने ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनो के उच्चीकरण कार्यको अपूर्ण रखते हुये ₹ 307.00 लाख की धनराशि को अवरुद्ध रखा जाना।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद देहरादून में 78 नवीन ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण एवं 10 पूर्व ऑगनवाड़ी भवनो के उच्चीकरण कार्य हेतु ₹ 361.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी (फरवरी 2015)। समेकित बाल विकास निदेशालय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 2014-15 में उक्त धनराशि का उपयोग कर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जाये। ग्राम पंचायतो को उसी वित्तीय वर्ष (2014-15) में धनराशि हस्तांतरित किये जाने से निर्माण कार्य के संभव न हो पाने की वजह से जिलाधिकारी देहरादून द्वारा उक्त धनराशि मुख्य विकास अधिकारी देहरादून के पी0एल0ए0 खाते में रखेने की अनुमित प्रदान की। बाद में विभाग द्वारा उक्त धनराशि (₹ 361.00 लाख) काफी विलंब से माह 09/2015 को पी0एल0ए0 खाते से विभाग के खाते में हस्तांतरित की गयी। उक्त निर्माण कार्य सम्बन्धी अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 78 नवीन ऑगनवाड़ी केन्द्रो भवनो के निर्माण कार्य एवं 10 पुराने ऑगनवाड़ी केन्द्रो भवनो के उच्चीकरण के कार्य के सापेक्ष सम्प्रेक्षा तिथि (जुलाई 2017) तक मात्र 14 नवीन ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनो का ही निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सका था इस प्रकार 64 नवीन ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतो को धनराशि अवमुक्त करने के 1 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अपूर्ण पड़ा था। इकाई द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यो की प्रगति आख्या बिना ब्लाक स्तरो से कोई लिखित सूचना प्राप्त किये तैयार की गयी थी क्योंकि निर्माण कार्यो की प्रगति आक्या सम्बन्धी कोई अभिलेख इकाई में उपलब्ध नही था। इस प्रकार रु 234.00 लाख की धनराशि ग्राम पंचायत स्तर पर अवरुद्ध पड़ी थी इसके अलावा इसी निर्माण कार्य की रु 73.00 लाख की धनराशि इकाई स्तर पर बैंक खाते में अवरुद्ध रखी गयी थी, इस प्रकार निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के चलते रु 307.00 लाख की धनराशि विभिन्न स्तरो पर अवरूद्ध रखी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर अपने उत्तर में बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होते ही धनराशि का उपभोग हो जायेगा एवं वर्ष 2016-17 में मनरेगा युगपतिकरण के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त न होने के कारण भवन निर्माण कार्य पूर्ण नही हो पाया है। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है एवं इस बात की स्वीकारोक्ति करता है कि निर्माण कार्य अपूर्ण रहने से धनराशि अनुपभोगित पड़ी है। अतः नवीन ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनो के निर्माण एवं पूर्ण ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनो के उच्चीकरण कार्य को अपूर्ण रखते हुये रु 307.00 लाख की धनराशि के अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-04- उच्चाधिकारियों (निदेशालय) की स्वीकृति प्राप्त किये बिना पूर्व चयनित स्थल से भिन्न स्थल पर भवन निर्माण कार्य हेतु रु 213.50 लाख की धनराशि का व्यावर्तन।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1450 नवीन ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनो के उच्चीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त करते हुये व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसी क्रम में देहरादून जनपद में 78 ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण एवं 10 पूर्व भवनो के उच्चीकरण का कार्य किया जाना था। इस हेतु निदेशालय द्वारा रु 361.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर जनपद को प्रदान की गयी (फरवरी 2015)। निदेशालय द्वारा जारी धनावंटन प्रपत्र में यह स्पष्ट रुप से उल्लेखित किया गया था कि उक्त आबंटित धनराशि का व्यय, जिस प्रयोजन हेतु जारी किया जा रहा है, उसी प्रयोजन हेतु निदेशालय द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार व्यय किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु धनराशि किसी भी दशा में व्यय नहीं की जायेगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून द्वारा 78 नवीन ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु स्थानो का चयन कर इसकी सूचना निदेशक ICDS को दे दी गयी थी परन्तु बाद में पूर्व चयनित 78 स्थानों में से 61 भिन्न स्थानों पर ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण किये जाने हेतु रु 213.50 लाख की धनराशि निर्गत की गयी एवं इस स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में निदेशक ICDS से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। उल्लेखिनीय है कि इन 61 भिन्न स्थानो पर ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु कुल 213.50 लाख की धनराशि पूर्व चयनित स्थानों हेतु निर्गत धनराशि से व्यावर्तित कर व्यय की गयी। लेखा परीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पूर्व में जो सूची निदेशालय को प्रेषित की गयी थी उसमें से अधिकांश स्थानो पर भवन निर्माण हेतु भूमि प्राप्त न होने एवं उस स्थान पर बच्चो की सुगम पहुँच के आधार पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया। इकाई का उत्तर अस्वीकार्य है क्योकि निदेशालय द्वारा नवीन ऑगनवाड़ी केन्द्र भवनो की स्वीकृति विषयक पत्र दिनांक 23 फरवरी 2015 में जनपद स्तर पर गठित समिति के कार्य हेतु स्पष्ट रुप से उल्लेखित किया गया है कि यह समिति ऑगनवाड़ी भवन निर्माण हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर सम्बन्धित ऑगनवाड़ी केन्द्रो हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि इकाई द्वारा पूर्व में स्वीकृत स्थलो की जो सूची निदेशालय को भेजी गयी उसमें भूमि प्राप्ति की समस्त औपचारिकताये पूर्ण होने की पुष्टि की गयी है साथ ही इकाई द्वारा यह स्पष्ट रुप से स्वीकार किया गया है कि स्थान परिवर्तन हेतु निदेशालय से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तथा न ही निदेशालय से वार्ता कर कोई सहमित प्राप्त की गई।

अतः बिना निदेशालय की स्वीकृति के रु 213.50 लाख की धनराशि का व्यावर्तन कर दूसरे स्थान पर निर्माण हेतु प्रयोग किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01- ऑगनवाड़ी कार्यकर्तियों/मिनी कार्यकर्तियों के प्रशिक्षण पर ₹ 4.95 लाख का अनियमित व्यय।

ऑगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं ऑगनवाड़ी सहायिकाओं को वर्ष 2016-17 में ऑगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों यथा Job TRg. एवं Refresher TRg. द्वारा प्रशिक्षित किया जाना था।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2016-17 में इकाई को ₹ 9.58 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा प्रथम त्रैमास तक ₹ 9.04 लाख (भोजन पर ₹ 4.30 लाख, बिजली पर ₹ 0.09 लाख एवं पानी पर ₹ 0.02 लाख, तथा भवन किराये पर ₹ 0.54 लाख कुल 4.95 लाख) का भुगतान ऑगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून को किया गया था।

सामान्यतः किसी भी सेवा का भुगतान उस सेवा का भुगतान देयक (जिसमें सेवा सम्बन्धी विवरण यथा सेवा का प्रकार, अवधि, स्वीकृत दर आदि अंकित रहता है) प्रस्तुत किये जाने पर ही किया जाता है परन्तु इकाई द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान मात्र प्राप्ति रसीदों के आधार पर किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि भारत सरकार द्वारा दिये गये मानकनुसार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बिल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रस्तुत किये गये थे तथा बिजली एवं पानी के मूल बिल प्रस्तुत बिल के साथ नहीं थे।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त धनराशि का भुगतान ऑगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून को भुगतान देयक प्राप्त किये बिना मात्र प्राप्ति रसीदों के आधार पर किया गया था साथ ही इस सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की प्रति भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई।

अतः ₹ 4.95 लाख की धनराशि के अनियमित भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	**STAN**
106/2005-06	02	01	-
97/2007-08	02	03	-
102/2014-15	-	04	01
04/2016-17	01	1,2,3,4	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

3. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा. एस के सिंह	डी.पी.ओ.	05/02/2015 से वर्तमान

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास देहरादून को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.